

कार्य प्रमाणित
 28-3-20
 प्रमुख का अधिकार प्रमाणित

1.2. उम्मीद है कि...
 कार्य प्रमाणित...
 28-3-20
 प्रमुख का अधिकार प्रमाणित

28-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित
 वकील प्रतिवादी अनुपस्थित, प्रतिवादी अधिकारता को
 अन्तिम अवसर जवाब / अधिकार पत्र पेश करने
 हेतु दिया जाता है। वास्तव में पत्रावली विपक्षीगण
 के जवाब / अधिकार पत्र पेश करने हेतु नियत
 दिनांक 5-3-20 को पेश हो, आगामी दिनांक
 तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।

28-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील
 अप्रार्थीगण अनुपस्थित, वकील अप्रार्थीगण हो कितनी
 मर्तना आवापे दिखायी जाने उपरान्त भी उपस्थित
 नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के
 आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थीगण ने प्रा-पत्र
 212 R-T A पर बहस करना चाही। वकील
 प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण
 ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थीगण को अस्थाई
 निषेधाज्ञा नहीं मिली थी। इसे अक्षरों में शक्ति होगी।
 मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थीगण के
 अधिकारता की बहस पर मनन किया जाकर प्रा-पत्र
 अन्तर्गत धारा 212 R-T A के तहत मूल वाद पत्र के
 निस्तार तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
 पत्रावली केसल शुमार टोकर मूल वाद पत्र हेतु साधक संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
 मंडल जिला मालवाड़ा

